फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 113 प्रभात जयपुर, मंगलवार 24 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



MCGS - My Home Away From Home

My friends teased me that I had reached the "dark side" and would one day discover a new element, Rathorium

A Shakespeare Called Bhikhari Thakur

The Silver Pendants That Became A Bank Account

पिछले सप्ताह का खलनायक, इस सप्ताह का नायक बना

गत सप्ताह जेनसेन हुआंग को खलनायक घोषित करके, उनका इस्तीफा स्वीकार किया था एनवीडिया कम्पनी के निदेशक मण्डल ने, तथा संकेत दिये थे, कि हुआंग की अब एनवीडिया में वापसी कभी नहीं हो सकेगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- पर, इस सप्ताह हुआंग को कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने वापस बुलाकर, पुनः सीईओ नियुक्त किया।
- हुआंग का करिश्मा इतना है, कि जैसे ही उनकी, कम्पनी के सीईओ पद पर पुनः नियुक्ति की चर्चा फैलने लगी, एनवीडिया कम्पनी के शेयर्स की कीमत बढ़ने लगी, तथा ट्रेडिंग के प्रथम दिन के सत्र के अवसान तक, शेयर्स की कीमत में 30 प्रतिशत का इज़ाफा हो गया था।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हुआंग की वापसी का सार्वजनिक रुप से स्वागत किया।
- जैसा कि विदित ही है, हुआंग के, चीन के ओर से गुप्तचरी करने वाली एलिस हुआंग से प्रेम सम्बंध होने की खबर के कारण हुआंग ने एनवीडिया के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था।

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। पिछले सप्ताह जो व्यक्ति विलेन था, वही इस सप्ताह हीरो बन गया है।

दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग ने गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने उन्हें फिर से उनके पद पर बहाल कर दिया है। इससे पहले, बोर्ड ने खुद संकेत दिया था कि जेनसन हुआंग की वापसी की कोई संभावना नहीं है।

जेनसन हुआंग का करिश्मा इतना जबरदस्त था कि जैसे ही एनवीडिया में उनकी वापसी की खबर सामने आई, कंपनी के शेयरों में तेजी आने लगी। पहले ट्रेडिंग सैशन के अंत तक, एनवीडिया के शेयरों में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई। अमेरिका के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटैलिजैंस) उद्योग में जेनसन की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है।

नए सप्ताह के पहले ही दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने जेनसन हुआंग को वापस बुलाकर उन्हें फिर से कंपनी का सीईओ नियुक्त कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सही फैसला है। उन्होंने कहा, "वे वापस वहीं आ गए हैं, जहां उन्हें होना चाहिए।"

सच्चाई तो यह है कि जेनसन हुआंग का पुनर्वास इतनी जल्दी नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी पर सपा - कांग्रेस की पहली बैठक 15 मिनट ही चली

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 23 नवंबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर मुकाबला करने की रणनीति तय करने

- सपा ने कहा, उम्मीदवार की जीतने की संभावना ही सीट बंटवारे का एकमात्र आधार।

के लिए सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच हुई पहली औपचारिक बैठक महज 15 मिनट चली। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि सीटों के बंटवारे की बातचीत में उम्मीदवारों की जीतने की संभावना ही एकमात्र आधार होगी।

यह बैठक कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई। इसमें दोनों दलों के चार-चार नेताओं ने हिस्सा लिया। दोनों दलों के नेता मंगलवार को फिर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में सीट - शेयरिंग पर आज पुनः बैठक

अभी तक यह नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि गांधी परिवार के प्रभाव क्षेत्र, अमेठी व रायबरेली तथा सपा का मजबूती वाला इलाका, मैनपुरी व इटावा को नहीं छेड़ा जायेगा, बंटवारे के तहत

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- सपा ने कांग्रेस को सीटों की "ए-क्लास" लिस्ट में से लगभग 55-60 सीटें देने का मन बनाया है। मंगलवार को प्रस्तावित "फॉलो-अप" मिटिंग में सीट दर सीट, चर्चा होगी, तथा मतभेद और खत्म होने की आशा है, दोनों पक्षों को।
- यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है, कि कांग्रेस को आवंटित कई सीटों पर, रजामंदी से सपा के समर्थक खड़े किये जा सकते हैं।
- इस लचीली रणनीति से, दोनों पार्टियों के बीच पार्टियों के कार्यकर्ताओं में घर्षण उत्पन्न होने संभावना भी कम हो जाती है।

नई दिल्ली, 23 नवंबर। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का पहला औपचारिक दौर सोमवार को सम्पन्न हुआ। सीट-शेयरिंग वार्ता कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई। इस दौरान दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की सूची सौंपी। दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि अगले दो से चार दिनों में गठबंधन को लेकर अंतिम समझौता हो सकता है।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद और विधायक दल के नेता वीरेन्द्र चौधरी शामिल थे। वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और सांसद राजीव राय तथा इकरा हसन वार्ता में शामिल हुए।

कांग्रेस ने अपनी संशोधित सूची सौंपी, जिसमें उसने लगभग 100-130 सीटों की मांग की है। यह उसकी पहले की लगभग 181 विधानसभा सीटों की मांग से काफी कम है। इस सूची

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार को "जैनोसाइड" (जनसंहार) का दोषी करार दिया

इस "रुलिंग" के अनुसार, म्यांमार सरकार द्वारा 2016-2017 में चलाया रोहिंग्या विरोधी अभियान, "जैनोसाइड" (जनसंहार) था

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- यह अलग बात है, कि न्यायालय की इस "रुलिंग" का क्रियान्वयन कैसे होगा।
- पर, यह पहली बार हुआ है, कि 1948 के जैनोसाइड कन्वैन्शन के बाद, किसी देश को जनसंहार कानून का दोषी करार दिया है अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने।
- इस रुलिंग का काफी व्यापक महत्व है। इससे इज़रायल द्वारा हमास के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही तथा ब्लूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही सैन्य कार्यवाही को भी इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने का प्रयास होगा।

नई दिल्ली, 23 नवंबर। पिछले सप्ताह इंटरनैशनल कॉर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि 2016-2017 में म्यांमार द्वारा चलाया गया अभियान "राज्य प्रायोजित नरसंहार" था। इस अभियान में रोहिंग्या समुदाय के 400 से अधिक गांवों को पूरी तरह मिटा दिया गया, कम से कम 10,000 लोगों की हत्या की गई और महिलाओं तथा बच्चों को इमारतों में बंद करके उन्हें आग के हवाले कर दिया गया

यह फैसला एक ऐसी मिसाल कायम करता है, जिसका असर इस मामले से कहीं आगे तक पडेगा। इसमें इज़रायल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाला मामला भी शामिल है, जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है।

म्यांमार एक ऐसा देश है, जहां विभिन्न जातीय समुदाय रहते हैं। कई दशकों तक रोहिंग्या भी वहां के अनेक जातीय समूहों में से एक थे। उन्होंने संसदीय चुनाव जीते, छात्र संगठन बनाए और अपने कारोबार चलाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत नेपाल को 1.6 अरब डॉलर की सहायता देगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 नवम्बर। पड़ोसी हिमालयी देश नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, भारत ने

- मोदी व बालेन्द्र शाह ने संबंधों को नई दिशा देने का फैसला किया।

आज नेपाल के लिए 1.6 अरब डॉलर के आर्थिक विकास पैकेज की घोषणा की। इसके साथ ही, सीमा पार कनैक्टिविटी, ऊर्जा और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल भी की गईं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज द्विपक्षीय बातचीत की और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नई दिशा देने तथा भविष्य के लिए उन्हें और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नया संयुक्त दृष्टिकोण शुरू करने का फैसला किया।

बार एसोसिएशन चुनाव में दो वकालतनामे की शर्तों पर रोक

अदालत ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अन्य पक्षकारों को जवाब -तलब किया है

-यादवेन्द्र शर्मा-

- अदालत ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जाने के बाद नियम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और वकालतनामे या पेशियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने की नई शर्त लगाना नियम में परिवर्तन ही होगा

जयपुर, 23 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के लिए कम से कम दो वकालतनामे या दो पेशियों में उपस्थिति की अनिवार्यता को बहाल करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 2 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार कार्रवाई जारी रखने को कहा है। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश कुलदीप शर्मा व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही, अदालत ने एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले वीरेन्द्र अग्रवाल, सहित अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

इस मामले में अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य, अधिवक्ता कुलदीप शर्मा और अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इस मामले में मुख्य तौर पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील समदरिया ने की थी। उनकी ओर से कहा गया कि मामले में विवाद जोधपुर स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले से उत्पन्न होता है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में वोटरों की पात्रता केवल दो बिंदुओं पर तय की जा सकती है, पहला कि उनके पास एसोसिएशन का आइडेंटिटी कार्ड हो, और एसोसिएशन ने मतदाताओं के पक्ष में "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" जारी किया हुआ हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर हाई कोर्ट के इस आदेश पर मोहर लगाई है और कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं। सुनील समदरिया ने अदालत को कहा कि 2 नवंबर को बार एसोसिएशन के इलेक्शन आयोजित करने की घोषणा कर दी गई थी, परंतु तब इस शर्तों की घोषणा नहीं की गई थी कि मतदाताओं से दो अतिरिक्त वकालतनामे मांगे जाएंगे। इसीलिए अब इलेक्शन घोषित करने के बाद शर्तों में फेर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध होगा, जो कि स्पष्ट कहते है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियम परिवर्तित नहीं किए जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि केवल दो वकालतनामे प्रस्तुत करने की शर्त यह स्थापित नहीं कर सकती कि वकील कार्यरत वकील है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इतने शीघ्र नियम परिवर्तित करने से लगभग ढ ाई हजार अधिवक्ता, जो कि बार के सदस्य हैं, अपना वोट डालने का अधिकार खो देंगे।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकार्ताओं के तर्क को सही माना और खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इस सुनवाई के बाद, अदालत के गलियारों में भी चर्चा रही कि चुनाव घोषित करने के बाद नियम परिवर्तित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल - डीज़ल नहीं मिलेगा

जयपुर, 23 नवम्बर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब राजस्थान में भी सख्ती की तैयारी है। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी)

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के निर्देश दिये।

वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र के 362 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष पीयूसीसी नियमों के उल्लंघन पर 76,151 चालान जारी किए जा चुके हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने सोमवार को जयपुर में राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की।

कोटा की 270 एकड़ की बेशकीमती भूमि का मामला आखिरकार सुलझा

हाई कोर्ट ने अराफात पेट्रोकेमिकल्स को सौंपी गई लीज खारिज करने के आदेश पर मोहर लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-

- अदालत ने राज्य सरकार के तर्क को माना कि अराफात उक्त भूमि पर कई वर्षों से कब्जे में है परन्तु वह वहां पर किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं कर पाई है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि समझौते के तहत अराफात ने जे के सिंथेटिक लिमिटेड के 2000 कर्मचारियों को रोज़गार देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया है।
- अराफात की ओर से अपील में दलील दी गई थी कि उसने औद्योगिक गतिविधि या किसी अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने की पुरजोर कोशिश की है परंतु राज्य सरकार ने ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी। उनका कहना यह भी है कि कलेक्टर ने उनकी लीज खारिज करते वक्त न तो कंपनी को कोई सुनवाई का मौका दिया और बिना सोचे समझे कुछ घंटों में ही लीज खारिज करने के आदेश पारित कर दिए।

जयपुर, 23 नवंबर। मुख्य न्यायधीश संजय के अग्रवाल और न्यायधीश समीर जैन की खंड पीठ ने मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की 270 एकड भूमि पर लीज को खारिज करने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही कोटा कलेक्टर तथा एकल पीठ के लीज़ रद्द करने के आदेश को सही माना है।

बताया जा रहा है कि उक्त जमीन की मार्केट में कीमत लगभग हजार करोड़ रुपए है।

इस मामले के तथ्य के अनुसार, 1958 में उक्त 270 एकड भूमि को जे के सिंथेटिक लिमिटेड कंपनी को लीज पर सौंपा गया था।

यह कंपनी कई वर्षों तक उक्त भूमि पर कार्यरत रही और प्रदेश की सबसे बडी औद्योगिक कंपनियों में से एक बनकर उभर कर आई। परंतु 90 के दशक में कंपनी को कई आर्थिक परेशानियों को झेलना पडा और 1998 में इस कंपनी को सिक (आर्थिक रूप से निष्क्रिय)

कम्पनी घोषित कर दिया गया और एस आई सी ए (सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट) के प्रावधानों के तहत उक्त कंपनी की जमीन और लेन-देनदारी अराफात पेट्रोकेमिकल्स के नाम कर दी गई। समझौते के तहत, अराफात को उक्त भूमि इस शर्त पर मिली थी कि वह उस भूमि पर उद्योग पुनः शुरू करेगी और जे के सिंथेटिक के कर्मचारियों की दोनों यूनियनों के बकाया राशि की भरपाई करेगी और उन्हें रोजगार देगी।

परंतु कई आकस्मिक कारणों की वजह से अराफात केवल 6 महीने की छोटी अवधि के लिए ही भूमि पर फैक्ट्री चला पाई और आग लगने की वजह से वो फैक्ट्री भी बंद होगयी। इसके बाद अराफात रीको व राज्य सरकार के समक्ष विभिन्न तरीके के प्रस्ताव लेकर आयी, ताकि वह अन्य किसी तरह की फैक्ट्री स्थापित कर सके। परंतु ऐसे प्रस्ताव किसी न किसी कारण खारिज होते रहे, तत्पश्चात वर्ष 2018 नवंबर में , अराफात ने जमीन के उपयोग को "औद्योगिक" से बदल कर "व्यावसायिक" करने के लिए प्रस्ताव रीको को भेजे, परंतु यह मामला भी पेचीदगियों में उलझा रहा।

अराफात को इस मामले में सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब वर्ष 2018-19 में विधान सभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन हुआ और नई अशोक गहलोत सरकार ने अराफात के भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अराफात हाई कोर्ट आई और तत्कालीन मुख्य न्यायधीश ने अशोक गहलोत सरकार के फैसले को गलत ठहराया। इसके बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंड पीठ के फैसले को रद्द किया और कहा कि राज्य सरकार ही उक्त भूमि का मालिकाना हक रखती है और अराफात को भूमि केवल लीज पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अराफात पुनः भूमि उपयोग बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज सकती है , परंतु राज्य सरकार जनहित में और कानून के दायरे में रहते हुए, इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। अराफात ने तत्कालीन टूरिज्म पॉलिसी के तहत भूमि उपयोग बदलने का प्रस्ताव सरकार को पुनः भेजा, ताकि वो उक्त भूमि पर होटल या रिसोर्ट का निर्माण कर सके। इस बीच 16 और 17 जून को कोटा कलेक्टर ने अराफात को लीज खारिज करने के सम्बन्ध में दो नोटिस जारी किये और अराफात को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया। अराफात ने अपना जवाब तो भेज दिया, परंतु जब तक उसके जवाब पर फैसला लिया जाता, तब तक कोटा कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। पर हैरानी की बात है कि नए कलेक्टर ने आते ही ज्वाइनिंग से कुछ ही घंटों में ही, अराफात की लीज खारिज करने के आदेश पारित कर दिए। अराफात ने कलेक्टर के इसी आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अराफात का हाई कोर्ट की खंड पीठ ओर एकल पीठ, दोनों के समक्ष यह तर्क था कि नए कलेक्टर ने बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए और बिना तथ्यों को जाने, कुछ ही घंटों में अराफात की लीज खारिज करने के आदेश दे दिए।

अराफात ने कहा कि वह कई वर्षों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)